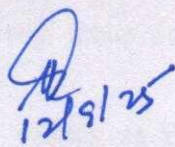
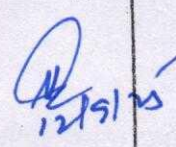


आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12/9/25	क्र० - 104/25 BNSS 163 <u>आदेश</u> उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृष्ठा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व कागजातों का अवलोकन करने, अंचल अधिकारी सचिवा के प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वादग्रस्त भूमि पर प्रथम पक्ष स्वातिमान के आधार पर तथा द्वितीय पक्ष केवाला के आधार पर अपना-अपना दावा करते हैं। स्पष्ट रूप से उभय पक्ष के मध्य विद्यमान यह विवाद स्वत्व (Title) से संबंधित है, स्वत्व का विचारण अधोहस्ताक्षरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बिना कोई अंतिम आदेश किसी पक्ष के हित में या विलंब पारित किए बिना समाप्त की जाती है। प्रभावित पक्ष वाद	

आदेश की क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	का स्वाची निपटारा सक्षम न्यायालय में युक्ति युक्त (Appropriate) वाद लाकर कर सकते हैं। लेखापति एवं संशोधित  12/9/25 SDM Bagodar Laximpur.  12/9/25 SDM.	